



HAMIRPUR POLICE

दि० 24.05.2023



"प्रभावी पैरवी कर मात्र 09 माह में 05 अभियुक्तों को अधिकतम 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 5,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई"

आज दिनांक:- 24.05.2023 को मा० न्यायालय द्वारा नामजद 05 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, कोतवाली सदर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ०सं० 254/2022 धारा- 147 354b 386 394 504 506 आईपीसी के नामजद अभियुक्तगण 1) कन्हैया शर्मा पुत्र राजेश कुमार निवासी गौरा देवी कोतवाली सदर, 2) दानिश खान पुत्र शहजाद नि० ईदगाह के पास मोहल्ला गौरा देवी सदर, 3) सानू पुत्र पंचा मुसलमान निवासी सुमेरपुर, 4) शीलू कुमार निषाद पुत्र खुशीराम निषाद, 5) खुशीराम निषाद पुत्र कसिया निवासी ब्रह्मा का डेरा कोतवाली सदर हमीरपुर, को सजा दिलाई गई।

इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व एवं प्रत्येक को 5,000 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

अभियुक्तगण को सजा दिलाने में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर दुर्गविजय सिंह, एडीजीसी मणिकर्ण शुक्ल व पैरोकार का० बिजमान सिंह का सराहनीय योगदान रहा।।



प्र०नि०
दुर्गविजय सिंह



एडीजीसी
मणिकर्ण शुक्ल



पैरोकार
का० बिजमान सिंह